कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 383/XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,
नई दल्ली–110001

विषयः– **भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रकरणों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित तालिका में वर्णित पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया प्रकरणों पर मा0 आयोग के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जानी निवेदित हैः–

क्र0 सं0	आवेदक का नाम व पत्ता	विषय	पत्र की तिथि
1.	मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग–5 के पत्र संख्या 4103 दिनांक 14 मार्च, 2016 के साथ संलग्न श्री एम.एल. कन्याल, प्रान्तीय अक्ष्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, आर्यानगर रसूलपुर, पो0 लालढांग, जनपद हरिद्वार	वर्तमान विधानसभा क्षेत्र 35–हरिद्वार (ग्रामीण) का नाम लालढांग किए जाने के संबंध में ज्ञापन	03.02.2016
2.	श्री राज्यपाल कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग–5 के पत्र संख्या 5375 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के साथ संलग्न श्री एम.एल. कन्याल, प्रान्तीय अक्ष्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, आर्यानगर रसूलपुर, पो0 लालढांग, जनपद हरिद्वार	वर्तमान विधानसभा क्षेत्र 35–हरिद्वार (ग्रामीण) का नाम लालढांग किए जाने के संबंध में ज्ञापन	03.03.2016

अतः उक्तानुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 383 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–
1. श्री एम.एल. कन्याल, प्रान्तीय अक्ष्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, आर्यानगर रसूलपुर, पो0 लालढांग, जनपद हरिद्वार।
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 4103 दिनांक 14 मार्च, 2016 एवं 5375 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन
~~मुख्यमंत्री~~ कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग–5
क0संख्याः **JA/**(c) 5375 **/XXXV–5/2016**(1)
देहरादूनः दिनांक, 12-04- **2016**

1225/प्र0स0/2016
S.O. election

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/निर्वाचन विभाग
सचिव, लोक निर्माण/परिवहन/राजस्व/सिंचाई/आवास विभाग
<u>उत्तराखण्ड शासन।</u>

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव,
खाद्य, निर्वाचन, खाद्य
महिला सश.बा.वि.

कृपया जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत आर्यनगर लालढाँग क्षेत्र के मध्य रसूलपुर रवासन नदी में सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने एवं क्षेत्र की कतिपय अन्य समस्याओं का निराकरण किये जाने के अनुरोध विषयक श्री एम0एल0 कन्याल, संस्थापक/प्रान्तीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, संयुक्त कार्यालय– आर्यनगर, रसूलपुर, पो0ओ0–लालढाँग, जनपद हरिद्वार का पत्र दिनांक **03.03.2016**, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न पत्र में उल्लिखित अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दु/बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक यथोपरि।</u>

(गिरीश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

श्री सेमवाल

18/4/2016
S.O

शिक्षित बनो ! संगठित रहो !! संघर्ष करो !!! जन्मसिद्ध अधिकारों को आजाद करो !!!!
सत्यमेव जयते ! जय मानव !! जय उत्तराखण्ड !!! जय भारत !!!!

D15 | 11664 | 04 Apr 2016

उत्तराखण्ड राज्य

क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति

उत्तराखण्ड राज्य

एम०एल० कन्याल
प्रान्तीय अध्यक्ष
सम्पर्क नं०-9634677296
श्रीमती शशी रानी
प्रदेश महासचिव

क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति — मेरा भारत महान — उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय/निवास :
श्री रामचन्द्र पाल निवास
संयुक्त कार्यालय-आर्यनगर, रसूलपुर
पो०-लालढांग, जिला-हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
सम्पर्क नं०-9411180022

पत्रांक 1951/मै०/मो०/2015-2016/क्षे०/वि०/सं०/स०/उ०/लालढाँग/हरिद्वार/ज०/स०/ हेतु/ दिनांक 03/03/2016

"स्मृति ज्ञापन"

21 MAR 2016

माननीय
श्री हरीश रावत जी,
"मुख्य मन्त्री"
उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून

विषय →: जनपद हरिद्वार विधान सभा 35 ग्रामीण हरिद्वार के लालढाँग क्षेत्र की जनान्दोलित रहते चली आ रही ग्रामीण जनता की संलग्न माँग पत्र में उल्लेखित समस्त बिन्दु संख्या 1 से बिन्दु संख्या 6 व 6 के क खण्ड से च खण्ड तक समस्त बिन्दुओं का तत्काल प्रभाव से समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर जी,

① आपकी सेवा में अवगत कराना है कि जनपद हरिद्वार विधान सभा 35 ग्रामीण हरिद्वार के लालढाँग क्षेत्र की जन समस्याओं का माँग पत्र संलग्न है, जिन माँगों के समाधान हेतु क्षेत्रीय जनता विगत 16 फरवरी 2013 से अनवरत "क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति" के बैनर तले संघर्ष रत रहते चली आ रही है, कि माँगों के समर्थन में जलूस/प्रदर्शन, धरना, रैली, सम्मेलन, नुक्कड़ सभायें, 16 दिन तक 22 आमरण अन-शन कारियों द्वारा प्रथम बार आमरण अन-शन रसूलपुर रवासन नदी तट किया गया है, तथा दिनांक 20/01/2016 से दिनांक 02/02/2016 तक 14 दिन तक 7 आमरण अन-शन कारियों ने अन्न छोड़कर तपस्या परेडग्राउन्ड धरना स्थल देहरादून में जनान्दोलन किया है। किन्तु सुना ही नहीं गया है, ग्रामीण माह के 15 तारीख एवं माह के प्रत्येक अन्तिम तिथि को गाँव के ही रवासन नदी तट पर प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक हाथ पर काली पट्टी बाँध कर अन्न-जल त्याग कर 4 घण्टे की तपस्या कर आन्दोलनरत हैं।

अतः मान्यवर जी से अनुरोध है कि संलग्न प्रस्तावित माँग में उल्लेखित समस्त माँगों का अध्ययन कर बिन्दुवार समाधान मौके पर कराये जाने की कृपा की जाय, अति कृपा होगी,

संलग्न: (1)- माँगपत्र
(2)- पम्पलेट
(3)- विभागीय पत्र - इत्यादि

भवदीय
[signature] 03/03/2016
(एम० एल० कन्याल)
संस्थापक / प्रान्तीय अध्यक्ष
क्षे०वि०सं०स०, उत्तराखण्ड

"क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित"

जनपद हरिद्वार के लालढांग क्षेत्रान्तर्गत की वर्तमान में मुख्य मांगे :-

1. आर्यनगर लालढांग सड़क के मध्य रसूलपुर रवासन नदी में प्रस्तावित 250 मी0 स्पान का सेतु निर्माण की प्रथम चरण की स्वीकृति निर्गत की जाये। तथा कार्यवाही को समय रहते पूरा किय जाये व इस सड़क को रसूलपुर रवासन नदी से लालढांग गांधी चौक तक तत्काल प्रभाव से बनाया जाये। वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाये, स्वीकृति की एक प्रति जनान्दोलनकारियों को मौके पर उपलब्ध करायी जाये।
2. मीठीबेरी रवासन नदी में लम्बे समय से स्वीकृत बताये जा रहे 300 मी0 स्पान का डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य धरातल पर तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कराये जाने हेतु द्वितीय चरण की स्वीकृति निर्गत की जाये। द्वितीय चरण की स्वीकृति पत्र की एक प्रति जनान्दोलनकारियों को मौके पर उपलब्ध करायी जाये तथा पुल निर्माण हेतु टेन्डर घोषित कराया जाये।
3. आर्यनगर पीली रसियाबढ़ सड़क जिसकी लम्बाई 3 कि0मी0 से अधिक है की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाये।
4. आर्यनगर, रसूलपुर, मंगोलपुरा में भूमि क्रय कर आर्यनगर बस अड्डा निर्माण कराया जाये जिस बस अडडे का नाम जनशक्ति बस अड्डा आर्यनगर, रसूलपुर, मंगोलपुरा हो।
5. ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी के अन्तर्गत व लालढांग क्षेत्रान्तर्गत निर्मित समस्त सड़कों के रख-रखाव सफाई हेतु एक गैंगदल का गठन किया जाये। तथा इस गैंग में ग्रामीणों को शामिल कर राजकीय रोजगार से जोड़ा जाये।
6. ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी के अन्तर्गत मौके पर मौजूद आवास विहीन परिवारों को पृथक नई आधुनिक सुविधायुक्त आवासीय योजना घोषित कर तत्काल प्रभाव से इन्हें आवास आबंटन कराया जाये।

(क) लालढांग क्षेत्र में "पृथक" विकास खण्ड कार्यालय खोला जाये।

(ख) लालढांग क्षेत्र में तहसील स्थापित की जाये।

(ग) लालढांग क्षेत्र को परगना नजीबाबाद के स्थान पर परगना लालढांग लिखा जाये।

(ड) लालढांग क्षेत्र में डिग्री कॉलेज (राजकीय महाविद्यालय) खोला जाये।

(च) रसूलपुर में प्रस्तावित बैराज का निर्माण कार्य किसानों के हित में तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कराया जाये।

(एम0एल0 कन्याल)

संस्थापक / प्रान्तीय अध्यक्ष
क्षे0वि0सं0स0, उत्तराखण्ड

इन्कलाब-जिन्दाबाद ! जिन्दाबाद !! हमारी मांगे पूरी करो !!! पूरी करो !!!!

अन्याय सहन करना भी अपराध है-एम०एल० कन्याल ! जन्मसिद्ध अधिकारों को आजाद करो !!

चलो ! चलो !! देहरादून जनान्दोलन में चलो !! ग्राम प्रधान बलजीत कौर के नेतृत्व में चलो !!!

अपील

ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी की सम्मानित जनता से अपील है कि निम्न माँगों के समर्थन में जनता द्वारा गठित क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति उत्तराखण्ड हरिद्वार द्वारा दिनांक 18.01.2016 को अपराहन 2 बजे से दिनांक 19.01.2016 तक दो दिवसीय साँकेतिक धरना विधानसभा प्राँगण उत्तराखण्ड देहरादून में दिया जाना सुनिश्चित है, तथा दिनांक 20.01.2016 को प्रातः 12 बजे से आमरण अन-शन प्रारम्भ किया जाना है। इस जनान्दोलन में आप स्वयं की व्यवस्था (संसाधनों) से देहरादून अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे – उत्तराखण्ड सरकार ने विगत दिनांक 17.08.2015 से प्रारम्भ व दिनांक 01.09.2015 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन पर स्थगित आमरण अन-शन जनान्दोलन की अनदेखी की है । इसलिये इस जनविरोधी कृत्य के विरूद्ध विधानसभा उत्तराखण्ड प्राँगण देहरादून में जनान्दोलन किया जाना सुनिश्चित है। पुनः अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे।

वर्तमान में - मुख्य माँगे (माँगपत्र)

1. आर्यनगर लालढांग सड़क के मध्य रसूलपुर रवासन नदी में प्रस्तावित 250 मीटर स्पान का सेतु निर्माण की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धरातल पर निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कराया जाये व इस सड़क का निर्माण कार्य रसूलपुर रवासन नदी से लालढांग गाँधी चौक तक तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाये। प्रथम चरण का स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाय।
2. मीठीबेरी रवासन नदी में लम्बे समय से स्वीकृत बताये जा रहे 300 मी. स्पान डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य धरातल पर तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कराया जाये। द्वितीय चरण का स्वीकृति पत्र निर्गत कर उपलब्ध कराया जाय।
3. आर्यनगर पीली रसियाबड़ सड़क का श्री प्रकाश बाहती के घर से जंगल की ओर खेतों से होते हुए पीली तक लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार करने के आदेश/निर्देश निर्गत करते हुए धरातल पर जनहित में सड़क निर्माण का कार्य (जिसकी लम्बाई लगभग 3 किलोमीटर से अधिक है) तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कराया जाये क्योंकि भविष्य में यह मार्ग हरिद्वार, रसियाबड़, पीली, आर्यनगर, रसूलपुर, मंगोलपुरा, मीठीबेरी, लालढांग, कोटद्वार, कालागढ, रामनगर मार्ग कहलायेगा तथा गढवाल मण्डल, कुमाऊँ मण्डल को जोड़ने वाली सड़क कहलायेगी, जिससे क्षेत्रवासियों को यातायात सुविधाओं के अलावा रोजागर भी प्राप्त होगा व सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, यही नहीं लालढांग से अमोला मार्ग एवं चीला लालढांग मार्ग संचालित कराये जाने की मांग भी आन्दोलनकारियों के अजेन्डे में शामिल है, ताकि लालढांग क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा, जनता की मांग पूरी की जाये।
4. मौके पर मौजूद आवास विहीन ऐसे परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज नहीं है। आवासीय प्रतीक्षा सूची में दर्ज नहीं है, इन जरूरतमंद आवास विहीन परिवारों को आवासीय योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु पृथक नई आधुनिक सुविधायुक्त आवासीय योजना घोषित करायी जाये।
5. (क) लालढांग क्षेत्र में पृथक ''विकास खण्ड कार्यालय'' खोला जाये। क्योंकि यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से अति पिछड़ा क्षेत्र है। बहादराबाद ब्लाक आर्यनगर रसूलपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है इसलिए इस क्षेत्र में पृथक विकास खण्ड लालढांग के नाम से स्वीकृत कराया जाना वास्तविक जनहित होगा।
   (ख) लालढांग में तहसील स्थापित कर तहसील का कार्य तत्काल प्रभाव से संचालित कराया जाय।
   (ग) लालढांग क्षेत्र को परगना नजीबाबाद के स्थान पर परगना लालढांग लिखा जाये। इस आशय की घोषणा तत्काल प्रभाव से करायी जाये।
   (घ) विधानसभा क्षेत्र 35 ग्रामीण हरिद्वार को विधानसभा क्षेत्र लालढांग लिखा जाये। घोषणा तत्काल प्रभाव से जारी की जाये।
   (ङ) लालढांग क्षेत्र में डिग्री कालेज (राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय) खोला जाये, इस आशय की स्वीकृति निर्गत करायी जाये।
   (च) रसूलपुर में प्रस्तावित रसूलपुर बैराज का निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

निवेदक :

क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति उत्तराखण्ड

पीली पड़ाव, आर्यनगर, रसूलपुर, मंगोलपुरा, मीठीबेरी-ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी, जिला-हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार

पत्रांक: 344 /पीओ/2015

दिनांक: 01 सितम्बर, 2015

अध्यक्ष/महामंत्री,
क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति,
रसूलपुर मिठ्ठीबेरी,
विकास खण्ड बहादराबाद
तहसील व जिला हरिद्वार।

रवासन नदी पर रसूलपुर मिठ्ठीबेरी में ~~[illegible] वाले~~ पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग को लेकर आपकी क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा दिनांक: 07-07-2015 से किये जा रहे धरना प्रदर्शन एवं दिनांक: 17-8-2015 से की जा रही भूख हड़ताल के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि रवासन नदी पर रसूलपुर मिठ्ठीबेरी में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के स्तर से त्वरित कार्यवाही गतिमान है, जिसके फलस्वरूप आगामी 03 माह के अन्दर उक्त पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त के अतिरिक्त दूसरे पुल के निर्माण हेतु सर्वेक्षण की कार्यवाही भी इसी अवधि में प्रारम्भ करा दी जायेगी। आपके माप. के सम्मिलित अन्य मांगों पर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है।

(एच0सी0सेमवाल)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), हरिद्वार।
3. उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

धर्मेन्द्र सिंह पयाल
विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन ।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-1
सं0-VIP(M)/(B)15124/XXXV-1/201
देहरादून - दिनांक : 13 जनवरी, 2016

मुख्यमंत्री सचिवालय

श्री एम० एल० कन्याल,
प्रान्तीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, संयुक्त कार्यालय- आर्यनगर,
रसूलपुर, पो० लालढांग,
जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।

विषय :- पुलों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका पत्र जो मा. मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित/ पृष्ठांकित है, आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के सन्दर्भ संख्या- VIP(M)/(B)15124/XXXV-1/2015(1) दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भेज दिया गया है ।

कृपया अवगत होना चाहें ।

भवदीय

(धर्मेन्द्र सिंह पयाल)
विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्यमंत्री ।

धर्मेन्द्र सिंह पयाल,
विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-1
संख्या-VIP(M)/(B)12524/XXXV-1/2015(1)
देहरादून - दिनांक : 07 दिसम्बर, 2015

मुख्यमंत्री सचिवालय

श्री एम० एल० कन्याल,
प्रान्तीय अध्यक्ष,
क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति,
संयुक्त कार्यालय-आर्यनगर,
रसूलपुर, पोस्ट लालढांग,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय :- ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी में सेतुओं के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका पत्र जो मा. मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के सन्दर्भ संख्या-VIP(M)/(B)12524/XXXV-1/2015 (1), दिनांक : 11 सितम्बर, 2015 द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भेज दिया गया है।

कृपया अवगत होना चाहें।

भवदीय

(धर्मेन्द्र सिंह पयाल)
विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्यमंत्री।

(1.)

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि., हरिद्वार

Phone/FAX No. 01334-227446, E-Mail ID– eepdhar@rediffmail.com

पत्रांक : 4133/ । सी०

दिनांक : 20 .11.2015

सेवा में,

श्री एम.एल. कन्याल
संस्थापक / प्रान्तीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति
ग्राम आर्यनगर, रसूलपुर, पोस्ट–लालढांग, जिला हरिद्वार

विषय : **ग्राम पंचायत रसूलपुर, मीठीबेरी, लालढांग, पीली पड़ाव की जन समस्याओं का मौके पर धरातल पर प्रभावी समाधान कराये जाने हेतु स्वीकृतियां निर्गत के संबंध में।**

संदर्भ : **आपका पत्रांक 18025 / मैं0 / मो. / 2015–2016 / क्षे.वि.सं.स.स.उ. / लालढांग–हरिद्वार दिनांक 18.11.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में बिन्दूवार आख्या निम्न प्रकार है:–

1. ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी में रवासन नदी पर प्रस्तावित 300मी0 स्पान सेतु निर्माण का द्वितीय चरण का आगणन स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
2. आर्यनगर लालढांग सड़क के मध्य रसूलपुर रवासन नदी पर प्रस्तावित 250मी0 स्पान सेतु निर्माण का प्रथम चरण का आगणन स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
3. आर्यनगर में श्री ओम प्रकाश के चौराहे से निर्माणाधीन सड़क के मध्य प्रकाश बाहती के घर के पीछे से जंगल की ओर प्रस्तावित मार्ग निर्माण का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, तत्पश्चात आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।
4. बस अड्डा निर्माण हेतु जिला प्रशासन स्तर से कार्यवाही की जानी है।
5. उल्लेखित क्षेत्र में मार्गों के रखरखाव हेतु गैंग कार्यरत नहीं है। शासन द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर गैंग की व्यवस्था के निर्देश हैं। इस संबंध में उच्चाधिकारियों से अनुमति हेतु लिखा जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद हरिद्वार में होने वाले अर्द्धकुंभ मेला–2016 में देश / विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होना है। श्रद्धालुओं के सुरक्षित यातायात प्रबंधन की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग द्वारा इस समय कई स्थाई / अस्थाई सेतुओं का निर्माण तथा शहर के महत्वपूर्ण मार्गों पर बी.सी. द्वारा नवीनीकरण कार्य भी कराया जा रहा है। ये समस्त कार्य दिनांक 31.12.2015 तक पूर्ण किये जाने हैं। **अर्द्धकुंभ मेले जैसे महा आयोजनों को सुरक्षित / सफल बनाने हेतु शासन / प्रशासन के साथ उत्तराखंड राज्य विशेष रूप से जनपद हरिद्वार के प्रत्येक निवासी / नागरिक का सहयोग अपेक्षित है।** अतः अर्द्धकुंभ मेला–2016 के भव्य आयोजन के दृष्टिगत देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को अति आवश्यक सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से दिन–रात गतिमान निर्माण कार्यों की संवेदनशीलता को देखते हुये आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना प्रस्तावित धरना प्रदर्शन स्थगित करने का कष्ट करें।

20/XI/2015
(मुहम्मद यूसुफ)
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि., हरिद्वार
दिनांक : 20 .11.2015

पत्रांक : /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., हरिद्वार।
2. श्री संजीव कुमार सैनी, सहायक अभियंता, प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि., हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बिन्दु संख्या 3 से 5 पर यथा शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि., हरिद्वार

D:\backup PWD\PM\Letter-I.doc -- 942

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय (जन आकाँक्षा) अनुभाग–5
क0संख्याः JA/(c) 817/XXXV–5/2016 (1)
देहरादूनः दिनांक 13-01-2016

1–प्रमुख सचिव, वन/ग्राम्य विकास/उच्च शिक्षा विभाग,
सचिव, विधान सभा/राजस्व/परिवहन/लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।
2–जिलाधिकारी, हरिद्वार।

कृपया कतिपय मांगों को पूरा किये जाने के अनुरोध विषयक श्री एम0एल0 कन्याल, संस्थापक/प्रान्तीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, उत्तराखण्ड, कार्यालय/निवास–श्री रामचन्द्र पाल निवास, संयुक्त कार्यालय– आर्यनगर, रसूलपुर, पोस्ट–लालढ़ांग, जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 30–12–2015, जो मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दु/बिन्दुओं पर यथाशीघ्र आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नकःयथोपरि।

(शैलेश कुमार पंत)
विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन।

क0संख्याः JA/( ) /XXXV–5/2016 ( ), तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री एम0एल0 कन्याल, संस्थापक/प्रान्तीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, उत्तराखण्ड, कार्यालय/निवास–श्री रामचन्द्र पाल निवास, संयुक्त कार्यालय– आर्यनगर, रसूलपुर, पोस्ट–लालढ़ांग, जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30–12–2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(शैलेश कुमार पंत)
विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन।

रविवार देहरादून | 20 जुलाई 2014 अमर उजाला

घरों में 'कैद' हुई 20 हजार की आबादी

रवासन नदी में आए उफान से पांच गांवों का अन्य जगहों से कटा संपर्क

अमर उजाला ब्यूरो

श्यामपुर। रवासन नदी में आए उफान से पांच गांवों का संपर्क जनपद और अन्य जगहों से कट गया है। 20 हजार की आबादी घरों में कैद होकर रह गई है। जिससे ग्रामीणों के सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है।

श्यामपुर क्षेत्र में बहने वाली रवासन नदी के उफनने से रसुलपुर, मीठीबेरी, आर्यनगर, मंगोलपुरा, डढियान्नवाला समेत पांच गांवों के ग्रामीणों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों को लालढांग या फिर अन्य किसी भी जगह जाने के लिए एकमात्र रास्ता रवासन नदी के बीच से होकर जाता है। लेकिन, नदी में आए जबरदस्त उफान से ग्रामीण नदी पार कर अन्य जगहों पर नहीं जा रहे पा रहे हैं। जिसके कारण 20 हजार की आबादी घरों में कैद हो गई है। खुशपाल सिंह, दीवान सिंह, जगमोहन सिंह, चंदन सिंह आदि ग्रामीणों का कहना है कि रवासन नदी पिछले तीन से पूरे उफान पर है। जिस कारण ग्रामीणों का लालढांग और हरिद्वार से संपर्क टूटा हुआ है। एमएस कनियाल, राजकुमार ग्रामीणों का कहना है कि नदी के उफनने से लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नौकरी पेशा लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे है।

टाटवाला में स्थिति जस की तस

शनिवार को दिनभर बारिश से टाटवाला गांव में स्थिति बिगड़ती जा रही है। गांव में जंगल का पानी घुस रहा है। जिससे ग्रामीणों के खेत और सड़कें पानी से लबालब है। संतराम सिंह, श्रवण सिंह, हरपाल सिंह ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जंगल का पानी बढ़ता ही जा रहा है। गांव के निचले हिस्से पुरी तरह पानी से जलमग्न हो गए है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बरसात जारी रहती है तो गांव में जंगल के साथ ही गंगा नदी का पानी भी घुस जाएगा।

कांगड़ी पर पड़ रही दोहरी मार

तीन दिन से जारी मूसलाधार बारिश से कांगड़ी गांव में पर दोहरी मार पड़ रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक ओर जहां किनारों पर भारी कटाव हो रहा है वहीं गांव के पास से बहने वाले सिद्ध स्रोत में जंगल का पानी आ जाने से स्थिति गंभीर हो गई है। उप प्रधान सोमपाल ने बताया कि गांव के पास गंगा के किनारों पर जबरदस्त कटाव हो गया है और सिद्ध स्रोत में पानी से स्थिति और बिगडती जा रही है।

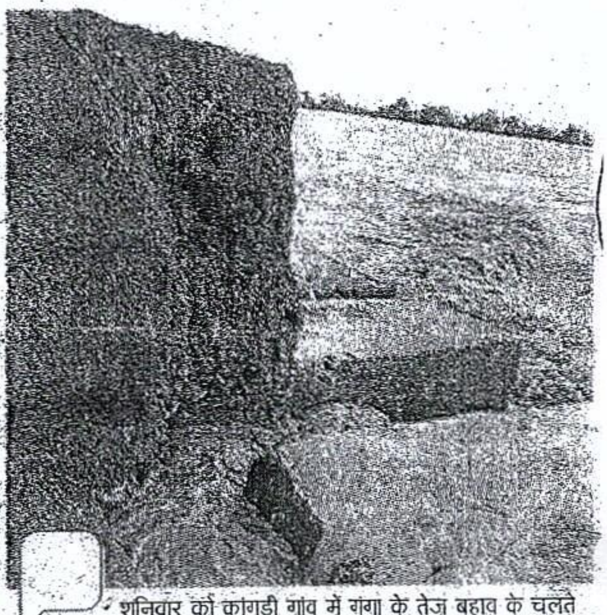

शनिवार को कांगड़ी गांव में गंगा के तेज बहाव के चलते टूटा तटबंध।

दिनांक 15/08/2015 को रवासन नदी मिठीबेरी मे श्री हरकेश सिंह उर्फ कल्लू 10 मार्च
पुत्र स्व. बाबूराम व दोनो पुत्र जलभराव मे फंस गये थे जिन्हे एन. डी. आर. टीम
के सहयोग से निकाला गया है। मौके पर तहसीलदार हरिद्वार थानाध्यक्ष श्यामपुर
मौजूद रहे। दोनो तरफ की हजारो की संख्या में मौजूद जनता मौके के गवाह है।
यही नहीं इस रवासन नदी मे शंकर कंडवाल, फूलचन्द S/o भारा, कटेरा पुत्र लालू आदि जैसे
की जिन्दगी सहित आज तक सैकडो जिन्दगिया मौत के गाल मे समा गई है कान्ति के
के प्राण भी इसी नदी के कारण मौत के घाट उतरे है। जनता की पीडा को अभी भी
नहीं समझा जा रहा है।

[signature]

927/पु०प्र०/2016
A.S.Ele

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय जन आकॉक्षा अनुभाग–5
क0संख्याः JA/(c) 4103 /xxxv–5/2016 (1)
देहरादूनः दिनांक, 14-03-2016

16/3/16
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव,
खाद्य, निर्वाचन,
32/AS(Election)/16
S.O. Election
17/3/16

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/निर्वाचन/पंचायतीराज विभाग
सचिव, लोक निर्माण/वित्त (प्रथम)/परिवहन/राजस्व/सिंचाई/आवास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
जिलाधिकारी, हरिद्वार।

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव, निर्वाचन,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लालढाँग क्षेत्रान्तर्गत रसूलपुर मीठीबेरी आदि ग्रामों की कतिपय समस्याओं का निराकरण करने विषयक श्री एम0एल0 कन्याल, प्रान्तीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, संयुक्त कार्यालय– आर्यनगर, रसूलपुर, पो0ओ0–लालढाँग, जनपद हरिद्वार पत्र पत्रांक संख्या– 1945/मै0मो0/2015–16/क्षे0वि0सं0स0/ देहरादून, दिनांक **03** फरवरी, **2016** जो मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है, कि छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरणों में अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दु/बिन्दुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष एवं इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

(शैलेश कुमार पन्त)
विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन

क0संख्याः JA/ /xxxv–5/2015( )तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री एम0एल0 कन्याल, प्रान्तीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति, संयुक्त कार्यालय–आर्यनगर, रसूलपुर, पो0ओ0– लालढाँग, जनपद हरिद्वार को उनके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(शैलेश कुमार पन्त)
विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड शासन

श्री सेमवाल
S.O.

DD/ 7285/ 24 Feb 2016

शिक्षित बनो ! संगठित रहो !! संघर्ष करो !!! जन्मसिद्ध अधिकारों को आजाद करो !!!!
सत्यमेव जयते ! जय मानव !! जय उत्तराखण्ड !!! जय भारत !!!!

उत्तराखण्ड राज्य

क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति

उत्तराखण्ड राज्य

एम०एल० कन्याल
प्रान्तीय अध्यक्ष
सम्पर्क नं०-9634677296
श्रीमती शशी रानी
प्रदेश महासचिव

कार्यालय/निवास :
श्री रामचन्द्र पाल निवास
संयुक्त कार्यालय-आर्यनगर, रसूलपुर
पो०-लालढांग, जिला-हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
सम्पर्क नं०-9411180022

क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति मेरा भारत महान उत्तराखण्ड राज्य

08 FEB 2016

पत्रांक 1945/मैं॰/मो॰/2015-2016/क्षे॰/वि॰/सं॰/स॰/उ॰/लालढांग/आमरण-अन-शन/देहरादून दिनांक 03/02/2016.

ज्ञापन–आमरण अनशन स्थगित एवं मांग पूरी होने तक जनान्दोलन की भावी रणनीति की अग्रिम सूचना

माननीय,

श्री हरीश रावत जी
मा0 मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

विषय : जनपद हरिद्वार विधानसभा 35 ग्रामीण हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र के आमरण अनशन कारियों को रवासन नदी मीठीबेरी 300 मीटर स्पान डबल लेन सेतु के निर्माण हेतु विभागीय व्यय वित्त समिति का संलग्न कार्यवृत्त पत्र प्राप्त होने पर आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया है तथा सेतु का टेन्डर घोषित कराये जाने एवं आमरण अनशन कारियों की अन्य शेष छ' मांगो की स्वीकृति हेतु ग्रामीण गांव रसूलपुर के रवासन नदी तट पर माह के 15 तारीख एवं माह के अन्तिम तारीख को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक हाथ में काली पटटी बांधकर अन–जल त्याग कर 4 घण्टे की तपस्या करेंगे। विरोध दर्ज कर जनहित में मांगो का समाधान कराने तक संघर्षरत रहेंगे व मांगो की स्वीकृति न होने की दशा में तीसरे माह के 18 तिथि को उत्तराखण्ड धरना स्थल में विरोध प्रदर्शन कर जनान्तोलन को उग्ररूप देगें के सम्बन्ध में अग्रिम सूचना सेवा में प्रेषित।

पी॰टी॰ओ॰

मान्यवर जी,

आपकी सेवा में अवगत कराना है कि लालढांग की निम्न व संलग्न मांगो का समाधान ज्ञापन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से समाधान कराया जाय। जैसे–

1– जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र – हरिद्वार ग्रामीण में लालढांग रसूलपुर नदी तट पर 300 मीटर स्पान आर0सी0सी0 डबल लेन सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तुत विस्तृत आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में दिनांक 29–01–2016 को सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुई विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त, सं0 356/ ।।।(2)–16–61 (ए0क्यू0)/2012 देहरादून दिनांक 01 फरवरी, 2016 में उल्लेखितानुसार योजना का जी0ओ0 जारी कर टेन्डर दिनांक 15–02–2016 तक घोषित कराया जाय।

2– संलग्न मुख्य मांगो में शामिल समस्त बिन्दुओं का तत्काल प्रभाव से समाधान कराया जाय। योजनाओं का स्वीकृति पत्र की छायाप्रति क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

अतः मान्यवर जी से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार एवं संलग्न मांगों का समाधान समय रहते कराया जाय। अन्यथा विषयगत प्रकरण में उल्लेखित कार्यक्रमानुसार जनान्दोलन प्रारम्भ करना सुनिश्चित है। इसी को अन्तिम सूचना समझा जाय। यदि इन जनान्दोलनों में कोई विनिष्टि होगी तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं शासन प्रशासन की होगी।

सादर

संलग्नक–

1– मांग पत्र, पम्पलेट,

2– व्ययवित्त समिति का उपरोक्त पत्र की छायाप्रति।

भवदीय,

03/02/2016.

(एम0एल0 कन्याल)

संस्थापक/प्रान्तीय अध्यक्ष
क्षे0वि0सं0स0, उत्तराखण्ड

पी0टी0ओ0.

प्रतिलिपि–

1– महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।

2– माननीय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

3– माननीय उपायुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

4– माननीय अजय भट्ट जी, नेता प्रतिपक्ष भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा

5– माननीय किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखण्ड।

6– माननीय सचिव महोदय, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

7– माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा देहरादून।

8– माननीय मंत्री जी सम्बन्धित मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।

9– श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार/ देहरादून।

10– श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार/देहरादून।

11– माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक क्षेत्रीय सासंद हरिद्वार।

12– माननीय क्षेत्रीय विधायक विधान सभा 35 ग्रामीण हरिद्वार।

13– माननीय समस्त पत्रकार/सम्पादक महोदय समस्त समाचार पत्र देहरादून/हरिद्वार को प्रकाशन हेतु।

(एम0एल0 कन्याल)
संस्थापक/प्रान्तीय अध्यक्ष
क्षे0वि0सं0स0, उत्तराखण्ड

जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र–हरिद्वार ग्रामीण में लालढांग–रसूलपुर–मीठीबेरी के मध्य रवासन नदी पर 300 मी0 स्पान आर0सी0सी0 डबल लेन सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तुत विस्तृत आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में दिनांक 29–01–2016 को सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुई विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

1– बैठक में संलग्न उपस्थिति पत्रक में अंकित अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

2– विषयगत योजना की पृष्ठ भूमि के सम्बन्ध मे मो0 युसुफ, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार द्वारा समिति के संज्ञानार्थ निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये:–

(1) जनपद हरिद्वार में लालढांग से रसूलपुर–मीठीबेरी के मध्य रवासन नदी पड़ती है, जिससे मीठीबेरी, रसूलपुर, ढंडियानवाला, आर्यनगर, मंगोलपुरा, रसूलपुर गोट, टिहरी कालोनी, रसूलपुर बड़ा, पीली पड़ाव आदि ग्राम स्थित हैं। इन ग्रामों का सम्पर्क, वर्षाकाल व नदी में पानी का स्तर बढ़ने से, अन्य क्षेत्रों से कट जाता है। गांवों में आने–जाने हेतु वर्तमान में यही एक मात्र मार्ग उपलब्ध है। वर्तमान में रवासन नदी के दायें पार्श्व में निवास करने वाली जनता को स्थानीय बाजार लालढांग तथा मुख्य बाजारों हरिद्वार एवं कोटद्वार जाने हेतु पैदल ही नदी पार करके जाना पड़ता है। बरसात के समय आवागमन असुविधाजनक एवं खतरनाक हो जाता है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से वर्षाऋतु में यह क्षेत्र अलग–थलग पड़ जाता है, जिससे आपात स्थितियों में क्षेत्र तक पहुंचना एक समस्या बन जाती है तथा हर वर्ष जान–माल की हानि होती रहती है। सेतु के निर्माण से स्थानीय जनता को आने–जाने हेतु वर्षभर हर मौसम में एक सुरक्षित मार्ग सुलभ हो जायेगा। पुल निर्माण हेतु स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय संगठनों द्वारा भी बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। इस सेतु के निर्माण हेतु विभिन्न संगठनों द्वारा धरना–प्रदर्शन भी समय–समय पर किया जा रहा है।

(2) इस सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि विषयगत सेतु के निर्माण की प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं0:–4092/III(2)/12–61(एक्यू)/2012 दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 द्वारा 300 मी0 स्पान हेतु ₹ 33.96 लाख की प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष सेतु निर्माण स्थल का चयन, स्थल चयन समिति, जिसमें दो अधीक्षण अभियन्ताओं, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सम्मिलित हैं, द्वारा किया गया। चयनित स्थल में 0.75 हैक्टेयर वन भूमि पड़ती है, जिसकी वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धांतिक स्वीकृति 07 सितम्बर, 2015 को प्राप्त हो चुकी है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है। सेतु निर्माण स्थल पर कोई वृक्ष नहीं है। वन भूमि हस्तांतरण की विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि चयनित स्थल के अनुसार विषयगत सेतु का कुल स्पान 300 मी0 आया है।

(3) विषयगत सेतु के डिजाइन एवं ड्राईंग पर तकनीकी रूप से विचार–विमर्श किया गया, जिसमें श्री आर0पी0 भट्ट, तकनीकी सलाहकार, लो0नि0वि0 एवं प्रमुख अभियंता/विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा सेतु निर्माण से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु जैसे सेतु का स्पान, एच0एफ0एल0, फाउंडेशन, सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर तथा सुरक्षात्मक कार्य के प्राविधान के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि विषयगत सेतु के निर्माण हेतु कन्सलटैन्ट का चयन टेन्डर के माध्यम से किया गया तथा मै0 स्ट्रेन्थ इन्जीनियरिंग कम्पनी, जयपुर को कन्सलटैन्ट नियुक्त किया गया। चयनित कन्सलटैन्ट द्वारा विषयगत सेतु के निर्माण हेतु सेतु की डिजाईन, ड्राईंग तथा डी0पी0आर0 गठित की गई है। कन्सलटैन्ट द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में भू–वैज्ञानिक द्वारा की गई संस्तुति का समावेश सेतु की डिजाईन एवं ड्राईंग किया गया है। विषयगत सेतु के निर्माण हेतु 25 मी0 के 12 स्पान रखे गये हैं तथा सेतु की चौड़ाई फुटपाथ सहित 02 लेन रखी गई है। समिति द्वारा सेतु की चौड़ाई 02 लेन रखे जाने के औचित्य के सम्बन्ध में पृच्छा की गई। इस सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि उक्त सेतु के निर्माण के पश्चात भविष्य में इस मार्ग पर यातायोत की वृद्धि के दृष्टिगत ही इस सेतु को 02 लेन रखे जाने का प्राविधान किया गया है।

(4) इस कार्य हेतु प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का टी०ए०सी० वित्त से तकनीकी परीक्षण कराया गया। टी०ए०सी० वित्त द्वारा उक्त कार्य की आंकलित कुल धनराशि ₹ 3037.24 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पाई धनराशि ₹ 2923.47 लाख (₹ 2918.59 लाख + ₹ 4.88 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य] पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(5) बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार सेतु में किये गये डिजाइन एवं ड्राइंग के प्राविधानों को तकनीकी रूप से उचित बताया, जिसके क्रम में विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा उक्त सेतु के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में अध्यक्ष, विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा उक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने एवं समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही पूर्ण हुई।

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2,
सं०:– 356 / III(2)–16–61(ए०क्यू०) / 2012
देहरादून: दिनांक: 01 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रभारी सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आर०पी० भट्ट, तकनीकी परामर्शदाता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, हरिद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार।
7. कार्यालय प्रति / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 382 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2016

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
लाडपुर रिंग रोड़,
मसूरी बाईपास, देहरादून।

विषयः– **राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रकरणों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें:–

क्र0सं0	आवेदक का नाम व पत्ता	विषय	पत्र की तिथि
1.	उप सचिव, श्री राज्यपाल के पत्र संख्या 193 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के साथ संलग्न श्री आनन्द सिंह असवाल व अन्य नगर पालिका बड़कोट, तह0 बड़कोट, जिला उत्तरकाशी।	नगर निकाय चुनाव के नामांकन में तथ्य छिपाये जाने के विरूद्ध उचित कार्यवाही के सबंध में।	16.03.2016

अतः उक्तानुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 382 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि श्री आनन्द सिंह असवाल व अन्य नगर पालिका बड़कोट, तह0 बड़कोट, जिला उत्तरकाशी को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या–193/जी0एस0/(विविध)/ए–1(7–2)/2016

प्रेषक,

विक्रम सिंह यादव,
उप सचिव, श्री राज्यपाल।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड — देहरादूनः दिनांक 12 अप्रैल, 2016

विषयः– **नगर निकाय चुनाव के नामांकन में तथ्य छिपाये जाने के विरूद्व उचित कार्यवाही किय।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री आनन्द सिंह असवाल व अन्य नगर पालिका बड़कोट, तहसील–बड़कोट, जिला–उत्तरकाशी द्वारा मा0 राज्यपाल को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 16 मार्च, 2016 की छाया प्रति यथोचित कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(विक्रम सिंह यादव)
उप सचिव श्री राज्यपाल

श्री सेमवाल
19/4/16
S.D.

(23)

सेवामें ,

श्री मान मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय जी,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

8035
1/4/16

विषय :– अतोल सिंह रावत पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत निवासी वार्ड नं0 – 01 नगर पालिका बड़कोट , जिला – उत्तरकाशी द्वारा अपने नगर निकाय चुनाव में लाभ लेने हतू चुनाव नामांकन पत्र के शपथ पत्र में अनुलग्नक 1 नामांकन के सम्बन्ध में अनुपूरक एवं आनुशांगिक उपवन्ध आदेश 1998 के संलग्नक – एक व दो में तथ्य छिपाने जाने हेतू बावत उचित कार्यवाही कर मुकद्मा दर्ज करने सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र सेवामें प्रेषित ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि अतोल सिंह रावत पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत निवासी वार्ड नं0 – 01 नगर पालिका बड़कोट , जिला – उत्तरकाशी द्वारा अपने नगर निकाय चुनाव में लाभ लेने हतू अपने निर्वाचन नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में सूचना / तथ्य छिपाए गए एवं चुनाव आयोग को धोखा देने कि नियत से गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । महोदय इस सन्दर्भ पूर्व में दि0 – 09 / 10 / 2013 को आपत्ति करने पर दिनांक – 20 मई 2015 को जांच करवाई गई थी जिसमें इस व्यक्ति द्वारा कृत इस गलत कार्य के किए जाने कि स्पष्ट पुष्टि सिद्व हुई है व जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा सचिव शहरी विकास उत्तराखण्ड देहरादून व संयुक्त सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यवाही करने हेतू जांच रिपोर्ट प्रेषित कि गई । महोदय इस व्यक्ति द्वारा राजनैतिक पहुंच व प्रशासनिक मिलीभगत कर व पैंसा बांट कर संपूर्ण जांच को दबाकर ठण्डे बस्ते में डालवा दिया गया ।

अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि समस्त स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर इस अनुचित कार्य के प्रति 15 दिन के भीतर उपरोक्त विषय सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से इस गलत कार्य का लाभ लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई कर उचित धाराओं में तत्काल मुकद्मा दर्ज करवाकर इसके चुनावी परिणाम को निरस्त करने कि कि महान कृपा करें ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के गलत कार्य को करने का साहस भी न कर सके । अन्यथा हम सभी शिकायत कर्ता आपके विरूद्व धरना / अनशन करने हेतू विवश होंगे जिसकि संपूर्ण जिम्मेदारी आपकि व प्रशासन कि होगी ।

दिनांक :– 16 / 03 / 2016

आनन्दसिंह असवाल
वार्ड 1
न0पा0 बड़कोट

शिकायत कर्ता
आनन्द सिंह असवाल व अन्य
नगर पालिका बड़कोट त0 – बड़कोट
जिला – उत्तरकाशी ,प्रदेश – उत्तराखण्ड

पूर्ण सिंह रावत
बड़कोट वार्ड न.2

प्रवीन गौड़
अध्यक्ष
नगर पालिका बड़कोट
जिला-उत्तरकाशी

संजय रवेली B.S.P नेता

05/04/16

1-4-16
(आनन्द वर्द्धन)
सचिव श्री राज्यपाल
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(विक्रम सिंह यादव)
उप सचिव, श्री राज्यपाल

4-4

पंजीकृत पत्र

प्रेषक

जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निकाय) उत्तरकाशी।

सेवामें,

सचिव,
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पत्रांक 71 / पं0–जांच / 2015 दिनांक 20 मई 2015

विषय:– श्री अतोल सिंह रावत पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत बडकोट उत्तरकाशी द्वारा नगर पंचायत नामांकन पत्र के शपथ पत्र में अनुलग्नक–1 नामांकन के सम्बन्ध में अनुपूरक एवं आनुषांगिक उपबन्ध आदेश 1998 के संलग्नक– एक व दो में तथ्य छिपाये जाने बावत कार्यवाही के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आयोग के पत्र संख्या 2373 / रा0नि0आ0–3 / 1419 / 2013 दिनांक 9.10.2013 जो अद्योहस्ताक्षरी को जांच करवाने के आशय से सम्बोधित तथा प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गई है सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें आयोग के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण को जांच हेतु उपजिलाधिकारी बडकोट को उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष उपजिलाधिकारी बडकोट द्वारा कराई गई जांच अन्तर्गत शिकायत की पुष्टि की गई है कि श्री अतोल सिंह रावत तत्कालीन अध्यक्ष प्रत्याशी नगर पंचायत बडकोट द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में सूचना / तथ्य छिपाने एवं चुनाव आयोग को धोखा देने की नियत से गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उपजिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार / नायब तहसीलदार के माध्यम से करवाई गई जांच आख्या मय संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक – उक्तवत (10)

भवदीय,

जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निकाय) उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित–

1–श्री सुनील थपलियाल वरिष्ठ पत्रकार, थपलियाल निवास नया बाजार वार्ड सं0– 5 बडकोट उत्तरकाशी।

2–संयुक्त सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।

जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निकाय) उत्तरकाशी।

सूचना का
अधिकार

रिपोर्ट थाना [illegible] उत्तरकाशी

सेवा में,

श्री प्रवीन गौड
सभासद
वार्ड संख्या03,
नगर पालिका परिषद बडकोट उत्तरकाशी

विषय- संख्या /वाचक/2013 सू0अधि0-2005 दिनांक- जनवरी, 30 2016 के सम्बन्ध [illegible] सूचना के सम्बन्ध में-

कृपया सादर अवगत कराना है कि श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय बडकोट [illegible] जो कि थाना हाजा को प्राप्त हुआ है के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत [illegible] संख्या 03 [illegible] आपके द्वारा निम्न सूचनाएं उपलब्ध कारने हेतु अपेक्षा की गई हैं।आपके द्वारा चाही गई सूचना [illegible] निम्नवत है।

बिंदु सँख्या-03 -श्री अतोल सिंह रावत पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत निवासी वार्ड नं0 01 [illegible] थाना [illegible] के रजि0 नं0 08 में निम्न अभियोग पंजीकृत हैं

क्र0सं0	अ0संख्या	धारा	बनाम	[illegible]
01	81/1993	379/427 भादवि	अतोल सिंह रावत	[illegible] पत्र संख्या-39 दिनांक 3/10/1993 व दिनांक 16/11/1999 को सी0जे0एम0 [illegible]
02	36/1994	457/380 भादवि	अतोल सिंह रावत	[illegible] दिनांक-15/1/19[illegible]
03	वाद संख्या 67/98	26 वन अधि0	अतोल सिंह रावत	[illegible] दिनांक- 2/8/2008 को 500रु0 [illegible] जुर्माना [illegible] साधारण [illegible]
04	अ0सं0 510/2007	147/148/332/353/427/307/504/506/व 07सी0एल0ए0 एक्ट व 3(1) व (10) एस0सी0एसटी0एक्ट	अतोल सिंह रावत आदि	[illegible] संख्या-2/2008 दिनांक 9/2/2008 [illegible]

चरित्र प्रमाण पत्र थाने से निर्गत नहीं किये जाते है थाने से केवल आख्या [illegible]

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो [illegible] 30-दिनों के अंदर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री देवीदत्त चौसाली श्रीमान क्षेत्राधिकारी [illegible] मो0 नं0 9411112766 को अपील दायर कर सकते हैं।

[illegible] सूचनाधिकारी
[illegible] बडकोट
[illegible] उत्तरकाशी

प्रतिलिपि-

1- श्रीमानउपजिलाधिकारी महोदय बडकोट

थाना बडकोट उत्तरकाशी

प्रत्याशी का नाम - अतोलसिंह

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ

निर्वाचन अधिकारी
(अध्यक्ष पद)
नगर पंचायत - बड़कोट

संख्या.........45

*मूल्य– अनारक्षित श्रेणी रू0 200.00
आरक्षित श्रेणी रू0 100.00

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

नाम–निर्देशन–पत्र

पद/स्थान का नाम–अध्यक्ष, नगर पंचायत

नगर पंचायत.................बड़कोट.................

*पद के आरक्षण का विवरण ....अनारक्षित.........
(अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/महिला/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति महिला/पिछड़ी जाति महिला)

*जमानत धनराशि–अनारक्षित श्रेणी रू0 3000.00
आरक्षित श्रेणी रू0 1500.00

उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा– रू0 100000.00

(प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाने वाला शपथ पत्र।)

संलग्नक–

1. नामांकन पत्र
2. *जाति प्रमाण–पत्र संबंधी शपथ–पत्र का प्रारूप दो
3. अनुलग्नक–1 (नामांकन के संबंध में अनुपूरक एव आनुषंगिक उपबन्ध आदेश, 1998 के संलग्नक–एक व दो सहित)
   (उक्त दोनों केवल एक ही शपथ–पत्र पर दिया जायेगा)
4. चुनाव प्रचार–प्रसार में पॉलीथीन का प्रयोग न करने का शपथ–पत्र
5. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के आदेशों का अनुपालन संबंधी घोषणा–पत्र
6. अनुलग्नक–2 (प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाने वाला शपथ पत्र)

Photograph affixed

*जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 पंचायत और नगरपालिका निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक आनुषंगिक उपबंध) आदेश, 1998) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

संलग्नक–एक

समक्ष निर्वाचन अधिकारी ....नगर पंचायत बड़कोट, जिला- उत्तरकाशी ....

के निर्वाचन को लिए ....नगर पंचायत बड़कोट.... ....

निर्वाचन क्षेत्र से ....अध्यक्ष पद हेतु....

शपथ–पत्र

मैं ....अतोल सिंह.... पुत्र / ~~पुत्री~~ / ~~प~~
श्री ....विक्रम सिंह.... आयु लगभग ....
....48.... वर्ष, एतदद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोषणा करत हूँ:–

(1) यह कि मैंने उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन–पत्र दाखिल कर दिय
(2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में, मैं एतद उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के उत्तराखण्ड (उ0प्र0 पंचायत नगरपालिका निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उ आदेश, 1998) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अपेक्षित सूचना f प्रपत्र में प्रस्तुत कर रहा हूँ।
(3) यह कि विहित प्रपत्र में एतदद्वारा संलग्न सूचना मेरी सम्यक् जानकारी विश्वास में सत्य है और मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

11.4.13

शपथी

मेरे समक्ष सत्यापित किय गया।
(मोहर सहित सत्यापित क वाले अधिकारी का हस्त

Photocopy attested

स्थान ....बड़कोट....

दिनांक ....11-04-2013....

संलग्नक–दो

निर्वाचन नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ......बड़कोट, जिला- उत्तरकाशी
से प्रत्याशी का नाम और पता ......अतोल सिंह, वार्ड सं.-01 नगर पंचायत ब
जिला- उत्तरकाशी
.... पिता / पति / पत्नी का नाम .....
सिंह
....

(1) क्या आप किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी मामले में सिद्धदोष ठहराये गये हैं? : नहीं,

(2) यदि हाँ, तो निम्नलिखित विवरण दिजियः–

(एक) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सिद्धदोष ठहराये गये : नहीं,

(दो) दोषसिद्धि का दिनांक

(तीन) कारित अपराध की प्रकृति (संगत अधिनियम और धाराओं के विवरण सहित)

(चार) दण्ड का विवरण

(पाँच) कैद भोगने की अवधि, यदि कोई हो

(छः) कारागार से रिहाई का दिनांक

(3) क्या उपर्युक्त दोषसिद्धि के विरूद्ध कोई अपील / निगरानी दायर की गई थी? : ~~हां~~ / नहीं

(एक) दायर की गई अपील / निगरानी की संदर्भ संख्या यदि कोई हो : ×

(दो) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील / निगरानी दायर की गई थी

(तीन) क्या उपर्युक्त अपील / निगरानी निस्तारित कर दी गई अथवा लम्बि है : निस्तरित हो गई है / लम्बित है ×

(चार) यदि निस्तारि हो गई है तो

(क) निस्तारण का दिनांक : ×

(ख) पारित आदेश की प्रकृति

(पाँच) क्या अपील / निगरानी के लम्बित रहने की अवधि से कोई जमानत स्वीकृत की गई थी अथवा नहीं : ×

(छः) यदि हां, तो अवधि जिसमे जमानत पर रहे : ×

प्रत्याशी का हस्ताक्षर

ATTESTED
11-4-13

स्थान ......बड़कोट
दिनांक 11-04-2013

Photo copy attested

सहायक निर्वाचन अधिकारी
पंचायत / नगर निकाय
उत्तरकाशी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

Rs.10

INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

UTTARAKHAND

16AA 78747

अनुलग्नक – 1

(संलग्नक-एक एवं संलग्नक-दो सहित)

Photocopy attested

सहायक जिला [illegible] अधिकारी
पंचायतराज [illegible]
उत्तरकाशी

ह० शपथकर्ता

कार्यालय उप जिलाधिकारी, तहसील बड़कोट उत्तरकाशी

चरित्र प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या - 0706011300141

दिनाँक - 08/04/2013

थाना/ पटवारी/ ना0 तहसीलदार/ तहसीलदार, तहसील बड़कोट की जाँच आख्या दिनाँक 08/04/2013 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतोल सिंह रावत पुत्र श्री विक्रम सिंह रावत ,माता श्रीमती ईश्वरी देवी निवासी ग्राम-नगर पंचायत बडकोट पट्टी बडकोट, ' पटवारी क्षेत्र चकरागांव तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी के विरुद्ध पटवारी क्षेत्र चकरागांव के पुलिस अभिलेख में तद् दिनांक तक कुछ अंकित नहीं पाया गया है।

कोई मामला दर्ज नही है

Photo Copy attest

अधिकारी
... सूचनालय
उत्तरकाशी

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 384 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 21 अप्रैल, 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार, अल्मोड़ा।

विषयः– **विभिन्न शिकायतों से संबंधित प्रकरणों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके जनपद से संबंधित निम्नलिखित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवेदक का नाम व पत्ता	विषय	पत्र की तिथि
1.	हरिद्वार	राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–26 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के साथ संलग्न श्री विनित कुमार सैनी पुत्र श्री जीत सिंह सैनी, निवासी ग्राम ईस्माइलपुर, विकास खण्ड व तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार	निर्वाचक नामावली में गलत रूप से दर्ज नामों को निरस्त किय जाने के संबंध में।	–
2.	अल्मोड़ा	श्रीमती खिल्पा देवी उनियाल, ग्राम प्रधान, मल्ला भाकुड़ा, वि0ख0 स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा	अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा के अन्तर्गत तहसील स्याल्दे के ग्राम पंचायत मल्ला भाकुडा पूर्वी विधानसभा एवं लोकसभा बूथ को स्थानान्तरण के संबंध में।	141/09.03.2016

अतः उक्तानुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 384 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–
1. श्री विनित कुमार सैनी पुत्र श्री जीत सिंह सैनी, निवासी ग्राम ईस्माइलपुर, विकास खण्ड व तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।
2. श्रीमती खिल्पा देवी उनियाल, ग्राम प्रधान, मल्ला भाकुड़ा, वि0ख0 स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा।

(हस्ताक्षर)
(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 26 / रा.नि.आ.-2/160/ /2015

दिनांक 07-04-2016

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

बी0डी0 पाण्डेय,
उप सचिव।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग–2: देहरादून।

विषयः– विधानसभा की निर्वाचक नामावली में गलत रूप से दर्ज नामों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री विनित कुमार सैनी पुत्र श्री जीत सिह सैनी, निवासी ग्राम ईस्माइलपुर, विकास खण्ड व तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार का दिनांक रहित प्रार्थना पत्र की **छायाप्रति** आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि पत्र में वर्णित प्रकरण पर अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0डी0 पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्याः / रा0नि0आ0–2/1601 टी0सी0/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री विनित कुमार सैनी पुत्र श्री जीत सिह सैनी, निवासी ग्राम ईस्माइलपुर, विकास खण्ड व तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0डी0 पाण्डेय)
उप सचिव।

श्री सेमवाल
7/4/2016
S.O.

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

हरिद्वार

5-4-16

सेवा में,

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय
राज्य निर्वाचन आयोग
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषयः–निर्वाचक नामावली में गलत रूप से दर्ज नामो को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि तहसील व ब्लॉक लकसर जिला हरिद्वार के गॉव सुल्तानपुर आदमपुर की विधान सभा निर्वाचक नामावली में तहसील हरिद्वार के ब्लॉक बहादराबाद के गॉव मौहम्मदपुर कुन्हारी व टिक्कमपुर के निवासियों के नाम सहवन गलती अथवा बी0एल0ओ0 की लापरवाही से दर्ज कर दिये गये है। जिसकी जांच की जाकर उनको निरस्त या उसको सही जगह दर्ज किया जाना जनहित में अति आवश्यक है इस बात की जानकारी हमें जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई कि मौजा टिक्कमपुर व मौहम्मदपुर कुन्हारी ब्लॉक बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो के वोट जो सुल्तानपुर सीमा से लगे हुए निवास कर रहे है के वोट पंचायत सुल्तानपुर में गलत रूप से सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा साजिशन बनाये गये है तथा उक्त वोटरो द्वारा जो मौजा टिक्कमपुर व मौहम्मदपुर कुन्हारी में निवास करते है उनके वोट साजिशन सुल्तानपुर में भी बनाये जाने के कारण इन वोटरो द्वारा ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर व ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर कुन्हारी व ग्राम पंचायत टिक्कमपुर में अलग–अलग दिनांक को चुनाव होने के कारण दोनो जगह वोट डाले गये है। इसलिए ब्लॉक लकसर के गॉव सुल्तानपुर आदमपुर की विधानसभा निर्वाचक नामावली से गलत रूप से दर्ज किये गये नामो को निरस्त किया जाना तथा इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी को कडी चेतावनी दी जानी न्यायहित व जनहित में अति आवश्यक एंव प्रार्थनीय है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि ब्लॉक लकसर जिला हरिद्वार के गॉव सुल्तानपुर आदमपुर की विधानसभा निर्वाचक नामावली से ब्लॉक बहादराबाद के ग्राम मौहम्मदपुर कुन्हारी व टिक्कमपुर के ग्रामवासियों के नाम निरस्त किये जाने तथा इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी को कडी चेतावनी दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः–

विनित

प्रार्थीः–
विनित कुमार सैनी पुत्र श्री जीत सिंह सैनी
निवासी ग्राम ईस्माइलपुर विकासखण्ड व
तहसील लकसर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।
M.No. 8923046825

प्रतिलिपिः–

1. राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली।
2. मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखण्ड राज्य देहरादून।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार

195/31/85/16
उप सचिव

05-04-16
(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड
388/DS/2016
AC (P)

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

50-2
05.4.16
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

श्री फाडपाल
05/4/16

खिल्पा देवी उनियाल
ग्राम प्रधान
पंचायत:- मल्ला भाकुड़ा
वि.ख. / तहसील स्याल्दे
जिला- अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

D15 | 11207 | 29 Mar 2016
5131

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-5
संख्या IA/(C)/5000/XXXI-...
दिनांक 08/04/2016

कार्यालय- निवास
सिमलचौरा, पो0 जयन्तेश्वर
WhatsApp : 9536467447, facebook ID : Vijay Uniyal
email- vijay.uniyal006@gmail.com
Mob. : 9456508383, 9627229366

पत्रांक 141/म0 के0/2016-17

1201 | प्रमु0स0/786
A.S. Ele

दिनांक 09/03/2016

1. मुख्य सचिव निर्वाचन विभाग
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

18 MAR 2016

(गिरीश चन्द्र जोशी)
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

श्रीमान माननीय श्री हरीश रावत जी,

मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड सरकार–देहरादून

1/4/16

प्रमुख सचिव,
खाद्य, निर्वाचन, खाद्य
महिला सशक्तिकरण

258/ASC(E)Ele
S.O. Ele

बिषय : अल्मोडा जनपद के सल्ट विधानसभा के अर्न्तगत वि0 ख0 एवं तहसील स्याल्दे के ग्राम पंचायत मल्ला भाकुडा पूर्वी विधान सभा एंव लोकसभा वूथ को स्थानान्तरण के संमबन्ध मे।

मान्यवर,

सादर प्रणाम! उक्त कम मे मैने अपना पत्र स0 138/मतदान केन्द्र/ स्थानातरण 2015–16 दिनांक 26/11/2015 को, मुख्य राज्य निवाचन अधिकारी, जिला अधिकारी, उपजिला अधिकारी जी को प्रेषित किया गया था। मगर कार्यवाही मात्र कागजतो तक रह गई। जिससे क्षेत्रीय जनता मे भारी रोष है।

12/4/16

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव, निर्वाचन,
उत्तराखण्ड शासन।

अतः महोदय उक्त कम मे यदि अतिशीघ्र भूमिगत निरीक्षण एंव वूथ स्थानातंरण नही किया गया तो अतिशीघ्र आन्दोलन एंव कमिक अनशन शुरु किया जाऐगा जिसकी जिमेदारी शासन–प्रशासन की रहेगी।

संल्गन पत्र : 1. अपना पत्र स0 – 138/म0 के0/ स्था0 2015–16 – 1 प्रति

2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी –पत्र स0– 1101/XXV-114-2013 – 1 प्रति

3. जिला अधिकारी अल्मोडा–पत्र स0 605/29–म0 स्थल/2015 – 1 प्रति

4. ग्राम पंचायत की (N O C)– अनापति प्रमाण पत्र – 1 प्रति

सूचनार्थ

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी – देहरादून
2. जिला अधिकारी – अल्मोडा

श्री सेमवाल

18/4/16
S.O.

भवदीय
खिल्पा देवी
प्रधान
ग्राम पचायत मल्ला भाकुडा
वि0ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

oC

खिल्पा देवी उनियाल

मोबा. 9456508383, 9536467447
9627229366

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत मल्ला भाकुड़ा, पो. जयन्तेश्वर, वि. ख. स्याल्दे, जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) 263661

पत्रांक 138/ मतदान केन्द्र / स्थानान्तरण – 2015-16 दिनांक 26/11/2015

सेवा में,

श्रीमती राधा रतुड़ी जी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
योजना भवन – प्रथम तल
4–सुभाष रोड , सचिवालय परिसर
देहरादून – उत्तराखण्ड, 248001

विषय– अल्मोडा जनपद के, सल्ट विधानसभा के अन्तर्गत विकास खण्ड एंव तहसील स्याल्दे के ग्राम पंचायत मल्ला भाकुड़ा (पूर्वी) विधानसभा एंव लोकसभा बूथ को स्थानान्तरण करने बाबत।

महोदय,

सादर प्रणाम! आपको उक्त विषय कम में अवगत कराना चाहती हु की ग्राम पंचायत मल्ला भाकुड़ा का विधानसभा एंव लोकसभा मतदान केन्द्र पूर्व से रा0 प्रा0 वि0 भाकुडा में संचालित है। यह बूथ तब केन्द्र विन्दु में था जब तीन ग्राम पंचायतों (क) मल्ला भाकुडा (ख) ग्वाली (ग) तल्ला भाकुडा का संयुक्त मत देय स्थल था वर्तमान में उक्त स्थान से ग्वाली एंव तल्ला भाकुडा का मतदेय स्थल हटा दिया गया था अब यह मात्र ग्राम पंचायत मल्ला भाकुडा का बूथ रह गया है। जो कि वर्तमान में एक छोर पर हो गया है। जिसके चलते लगातार चुनाव में मतदान का प्रतिशत एंव 10– 15 किमी0 बूथ दूर होने के कारण आम जनता मतदान से वंचित या दूर होते जा रही है।

महोदय उक्त कम मे निवेदन है कि मल्ला भाकुडा ग्राम पंचायत का त्रिस्तीय मतदान केन्द्र एंव बी0एल0ओ0 का कार्य रा0 प्रा0 वि0 सिमलचौरा (जयन्तेश्वर) में संचालित है। जो कि पुर्णतः ग्राम पंचायत का एक मात्र केन्द्र विन्दु बैठता है। अगर विधानसभा एंव लोक सभा मतदेय केन्द्र को रा0 प्रा0 वि0 सिमलचौरा (जयन्तेश्वर) में स्थानान्तरण किया जाता है तो चुनाव में मतदान के साथ–साथ आम जनता को लाभ मिल सकता है। उक्त स्थान में पेयजल, विधुत, आवासीय भवन, उपयुक्त फिल्ड एंव अतिरिक्त कक्ष सहित तमाम सुविधायें है।

अतः महोदय उक्त स्थान का भूमिगत निरिक्षण एंव सर्वेक्षण कर आम जनता की भावनाओं एंव अधिकारों को ध्याान में रखकर शीघ्र बूथ स्थानान्तरण करने बाबत् सम्बन्धितों को निर्देशित कर मुझे भी अवगत करना सुनिश्चित करे।

संलग्नक पत्र – ग्राम पंचायत का प्रस्ताव की मूल प्रति ।

आवश्यक सूचनार्थ – 1– जिलाधिकारी अल्मोडा ।
2– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार स्याल्दे ।

मुख्य कार्यालय प्राप्ति
11/12/15

मल्ला भाकुड़ा

भवदीय
खिल्पा देवी उनियाल
ग्राम प्रधान– मल्ला भाकुड़ा
खिल्पा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत मल्ला भाकुडा
वि0ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या– 1161 /XXV–114/2013 देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

विषयः– **अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा के अन्तर्गत विकास खण्ड एवं तहसील स्यालदे के ग्राम पंचायत मल्ला भाकुड़ा (पूर्वी) विधान सभा एवं लोकसभा बूथ को स्थानान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्रीमती खिल्पा देवी उनियाल, ग्राम प्रधान, मल्ला भाकुड़ा, तहसील स्यालदे जिला अल्मोड़ा के शिकायत पत्र जिसमें उनके द्वारा अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा के अन्तर्गत विकास खण्ड एवं तहसील स्यालदे के ग्राम पंचायत मल्ला भाकुड़ा (पूर्वी) विधान सभा एवं लोकसभा बूथ को स्थानान्तरण के संबंध में शिकायत की गयी है, को नियमानुसार निस्तारण हेतु आपको संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया प्रकरण पर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त। 1161

प्रतिलिपि श्रीमती खिल्पा देवी उनियाल, ग्राम प्रधान, मल्ला भाकुड़ा, तहसील स्यालदे जिला अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कृते प्राप्त किया
26/12/15

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा ।

पत्र संख्याः– 605 / 29–मतदेय स्थल / 2015 दिनांक 04 दिसम्बर, 2015

सेवा में,

उप जिलाधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
सल्ट।

विषयः– सल्ट विधानसभा के अन्तर्गत तहसील स्याल्दे के ग्राम पंचायत मल्ला भाकुड़ा का मतदान स्थल रा0प्र0वि0 सिमलचौरा (जयन्तेश्वर) में स्थान्तरण करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्रीमती खिल्पा देवी उनियाल ग्राम प्रधान मल्ला भाकुड़ा, पो0 जयन्तेश्वर, वि0ख0 स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा के पत्रांक संख्याः– 138 / मतदान केन्द्र / स्थानान्तरण / 2015–16 दिनांक 26 नवम्बर, 2015 का पत्र मूल रूप में सलग्न कर जॉच/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। कृपया उक्त प्रकरण पर जॉच करावा कर यथा समय आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नः– उक्तानुसारः– मूल पत्र

भवदीय,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा ।

प्रतिलिपिः– श्रीमती खिल्पा देवी उनियाल, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत मल्ला भाकुड़ा, पो0 जयन्तेश्वर, विकास खण्ड स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा को उनके पत्र संख्याः– 138 / मतदान केन्द्र / स्थानान्तरण / 2015–16 दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

4/12/15

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा ।

कृते प्राप्त किया
12/12/015

ग्राम पंचायत म0 भाकुड़ा की बैठक दिनांक–13/08/2014 का प्रस्ताव संख्या 90 नब्बे की मूलप्रति–:

विधानसभा व लोकसभा मतदान केन्द्र रा0 प्रा0 वि0 भाकुड़ा से हटाकर (स्थानान्तरण) त्रि–स्तरीय चुनाव मतदान केन्द्र रा0 प्रा0 वि0 सिमलचौरा में शीघ्र बनाया जाए।

म0 भाकुड़ा

भवदीय
खिल्पा देवी उनियाल
ग्राम प्रधान– मल्ला भाकुड़ा

खिल्पा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत मल्ला भाकुडा
वि0ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)